संख्या - 005/वी.जी.एल/4
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 14.07.2009

परिपत्र संख्या 17/7/09

विषय: निविदाएं/संविदाएं प्रदान करने का विवरण वेबसाइट पर डालना ।

आयोग ने दिनांक 16.03.2005, 28.07.2005 तथा 18.04.2007 के परिपत्रों द्वारा सभी संगठनों को निदेश दिया था कि निरंतर आधार पर प्रांरभ करने के लिए प्रत्येक माह लेनदेन की राशि का कम से कम 60% कवर करते हुए एक अवसीमा मूल्य (संगठनों द्वारा तय किया जाना है) से अधिक की गई सभी संविदाओं/खरीद के विवरणों का सारांश प्रत्येक माह अपनी वेबसाइट में डालें । मुख्य सतर्कता अधिकारियों से प्रगति का निरीक्षण करने तथा यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा थी कि अपेक्षित विवरण संबंधित वेबसाइट पर नियमित रूप से डाले जा रहे थे तथा आयोग को भेजी जाने वाली अपनी मासिक रिपोर्ट में अनुपालन स्थिति भी दर्शाई जा रही थी ।

2. संगठनों द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने पर, यह देखा गया कि कुछ संगठनों ने अनुदेशों का पालन नहीं किया तथा इसको कार्यान्वित नहीं किया । इसके अतिरिक्त, वेबसाइट पर भेजी जा रही ऐसी सूचना, कुछ संगठनों द्वारा निरंतर आधार पर नियमित रूप से अद्यतन नहीं की जा रही हैं तथा कुछ मामलों में प्रकाशित सूचना विसंधित है तथा आयोग द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित फार्मेट के अनुसार नहीं है । यह भी देखा गया कि कुछ संगठनों ने पंजीकृत विक्रेताओं/आपूर्तिकारों आदि को पासवर्ड के माध्यम से सूचना सीमित रूप से उपलब्ध कराई थी जो प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के मूल उद्देश्य को विफल करता है ।

3. अत: आयोग अपने उपर्युक्त अनुदेशों को पुन: दोहराते हुए सभी संगठनों/विभागों को निदेश देता है कि इनका सख्ती से पालन किया जाए तथा प्रदान की गई निविदाओं/खरीदों के विवरण का सारांश वेबसाइट पर डालें ताकि बिना किसी आगे विलंब के लेनदेन के मूल्य का 75% कवर हो । इस विषय में, संगठन की ओर से विफलता को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा ।

4. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करके आयोग को अपनी मासिक रिपोर्ट में अनुपालन स्थिति दर्शाएं ।

ह0/-
(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सेवा में

मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिव
सभी सीईओ/संगठनों के अध्यक्ष
सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी